रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1992/माघ 11, 1913

No. 50] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1992/MAGHA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1992

सा. का. नि. 74(अ):—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (1990 का 20) की धारा 4 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्य वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) अभिप्रेत है,

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

3. वेतन और भत्ते:—(1) उप नियम (2) में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष को आठ हजार रु. प्रति मास वेतन और प्रत्येक सदस्य को सात हजार छह सौ रु. प्रति माह वेतन दिया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां अध्यक्ष अथवा सदस्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अर्द्धसरकारी निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था से सेवानिवृत्त कोई सरकारी अधिकारी या पदधारी है तो उसे पेंशन या सेवांत फायदों के पेंशनी मूल्य या दोनों सहित संदेय वेतन, अध्यक्ष की दशा में आठ हजार रुपए प्रतिमास और सदस्य की दशा में सात हजार छः सौ रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में है तो उसका वेतन उसे लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

293 GI/92

4. महंगाई भत्ता:—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समुचित स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे ।

5. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता:—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समुचित स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन के अनुरूप नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करेंगे ।

6. पदावधि :—(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु पैंसठ वर्ष की न हुई हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(3) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी कुछ भी लिखे होने के बावजूद—

(क) कोई व्यक्ति, जिसने अध्यक्ष का पद धारण किया है, का पुनः नामनिर्देशन किया जा सकेगा, और

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने सदस्य का पद धारण किया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशित किए जाने या अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित किए जाने का पात्र होगा ।

परन्तु यह भी कि सदस्य सचिव को छोड़ कोई व्यक्ति, जिसने सदस्य या अध्यक्ष किसी भी रूप में दो कार्यावधियों के लिए पद धारण किया है, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशित किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

(4) यदि बीमारी या अन्य असमर्थता से अध्यक्ष अपना कार्य करने में अक्षम हो जाए तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्ष के फिर से कार्यभार संभालने तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

(5) यदि मृत्यु हो जाने से या त्याग पत्र देने से अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्य, अध्यक्ष का रिक्त पद अधिनियम की धारा 4 के उप धारा (4) के अधीन नए नामनिर्देशन से भरे जाने तक, अध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

7. छुट्टी:—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा,—

(क) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश,

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी ।

8. छुट्टी मंजूर करने के लिए प्राधिकारी—किसी सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकरण होगी ।

9. यात्रा भत्ता:—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय, अपने वेतन के अनुरूप दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित अपने बिलों के मामलों में स्वयं नियंत्रक अधिकारी होंगे ।

10. आवास सुविधा—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस प्रकार का सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उप नियम (1) में उल्लिखित आवास नहीं दिया जाता या वे स्वयं उसका उपभोग नहीं करते है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार में समुचित रैंक के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर प्रत्येक माह मकान किराया भत्ता का संदाय किया जाएगा ।

11. वाहन सुविधा:—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार सरकारी और निजी काम के लिए यात्रा करने हेतु स्टाफ कार की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

12. चिकित्सा उपचार सुविधा—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य चिकित्सा उपचार और होस्पिटल सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नियम, 1965 में उपबंधित किया गया है जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

13. पेंशन:—(1) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में था, नियुक्ति की तारीख से 6 माह के अन्दर अपना विकल्प देने पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से उन नियमों के अंतर्गत पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उस सेवा को लागू थे जिसका वह था ।

परन्तु ऐसी परिस्थिति में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उनका वेतन सकल पेंशन की रकम के बराबर कम कर दिया जाएगा जिसमें पेंशन का ऐसा कोई भी भाग जिसे संपरिवर्तित किया गया हो और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन शामिल है तथा वह अपनी पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पृथक से प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य जो अपनी उक्त नियुक्ति के समय केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की सेवा में था और उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प नहीं चुनता तो वह सदस्य के रूप में अपनी सेवा को, उस सेवा को लागू नियमों के अधीन पेंशन तथा सेवा निवृत्ति लाभ के लिए जोड़ सकेगा जिसमें वह इस नियुक्ति से ठीक पहले था ।

(3) अध्यक्ष अथवा ऐसे सदस्य को कोई पेंशन संदेय नहीं होगी जो अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद ग्रहण करने से ठीक पहले केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं था ।

14. भविष्य निधि:— (1) अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में था तथा जिसे सामान्य भविष्य निधि अथवा अंशदायी भविष्य निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया था, अपनी सेवा से लागू नियमों के अनुसार उस तारीख तक उक्त निधि में अंशदान देना जारी रख सकता है, जब तक कि वह सेवा निवृत्त न हो जाए । अंशदायी भविष्य निधि के मामले में

नियोक्ता की ओर से उस निधि में संदेय अंशदान, आयोग में अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति की तारीख से अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण 1:—इस उप नियम के अधीन विकल्प चुनने वाला कोई भी सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को अपना विकल्प लिखित रूप में संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

स्पष्टीकरण 2:—यदि कोई सदस्य अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा से निवृत्ति पर अंशदायी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त कर लेता है तो इन नियमों के अधीन वह तब तक पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उस भविष्य निधि में सरकारी अंशदान की राशि ब्याज सहित एकमुश्त और साथ में अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, सरकार को नहीं लौटा देता ।

(2) ऐसे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य जो,

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में था और जिसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व उस सेवा को लागू नियमों के अंतर्गत जिसका वह था अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ लेने का विकल्प चुनता है/चुना हो, या

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत सेवा से निवृत्त हो चुका हो और जो/जिसने इन नियमों के अंतर्गत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने का विकल्प नहीं चुनता/न चुना हो या

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा पूर्णतः या अंशतः सरकारी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में नहीं था, और इन नियमों के अंतर्गत पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं बन पाता अथवा इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनता ।

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना के फायदों में सम्मिलित किए जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिए वह समय-समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 द्वारा शासित होगा ।

15 अवशिष्ट उपबंध:—अध्यक्ष तथा सदस्यों के सेवा-शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ।

[सं. 9-61/90—डब्ल्यू. डब्ल्यू.]

उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women and Child Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1992

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by Sec. 17 read with sub-section (5) of section 4 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the National Commission for Women, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Women (Salaries and Allowances and Conditions of Servise of Chairperson and Memebers) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Women, Act, 1990 (20 of 1990);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission.

3. Salaries and allowances.—(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Chairperson shall be paid a salary of rupees eight thousand per month and every Member shall be paid a salary of rupees seven thousand and six hundred per month :

Provided that where the Chairperson or a Member is a retired Government Officer or official from Union Territory Administration, Semi-Government bodies, public sector undertaking, recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed in the case of Chairperson rupees eight thousand per month and in the case of a Member rupees seven thousand and six hundred per month.

(2) If the Chairperson or a Member is in service of the Central or a State Government, his salary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him.

4. Dearness allowance.—The Chairperson and every Member shall receive dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the appropriate level of the Central Government.

5. City compensatory allowance.—The Chairperson and every Member shall receive city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the appropriate level of the Central Government.

6. Tenure of office.—(1) Any person falling within the categories specified in sub-section (2) of section 3 of the Act and who has not attained the age of sixty-five years may be nominated as the Chairperson or as a Member.

(2) The Chairperson and every Member shall, unless removed from office under sub-section (3) of section 4 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty five years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1),

(a) A person who has held the office of Chairperson shall be eligible for re-nomination, and

(b) a person who has held the office of a Member shall be eligible for re-nomination as a Member or nomination as a Chairperson :

Provided that a person who has held office for two terms, in any capacity except the Member-Secretary, shall not be eligible for re-nomination as Chairperson or as Member.

(4) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the Chairperson resumes office.

(5) If a vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death or resignation, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the vacancy is filled by a fresh nomination under sub-section (4) of section 4 of the Act.

7. Leave.—The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows :—

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

(b) extra-ordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

8. Leave sanctioning authority.—The Chairperson shall be the authority to sanction leave to a Member and the Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

9. Travelling Allowance.—(1) Chairperson and every member shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowance at the rates appropriate to their pay admissible to Group A officers of the Central Government.

(2) The Chairperson and every Member shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

10. Residential accommodation.—(1) The Chairperson and every member shall be entitled to the use of an official residence as may be determined by the Government of India.

(2) If the Chairperson or a Member is not provided with or does not avail himself of the accommodation specified in sub-rule (1), he shall be paid every month house rent allowance at the rates admissible to officers of an appropriate rank in the Central Government.

11. Facility for conveyance.—The Chairperson and every member shall be entitled to the facilities of staff car for journeys for official and private purpose in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.

12. Facility for medical treatment.—The Chairperson and every Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Contributory Health Scheme Rules, 1954 or as may be determined by the Central Government.

13. Pension.—(1) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, shall, at his option to be exercise within a period of six months from the date of his appointment be entitled to draw his pension and other retirement benefits the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chairperson or Member, as the case may be :

Provided that, in such an event, his pay as Chairperson or Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) The Chairperson or a Member. who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central or State Government, if he does not exercise the option specified in sub-rule (1) shall count his service as Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) No pension shall be payable to the Chairperson or a Member who, immediately before assuming office as the Chairperson or a Member, was not in any service of the Central or State Government.

14. Provident Fund.—(1) The Chairperson or a Member who at the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or State Government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that Fund until the date on which he retire according to rules applicable to him in his service. In the case of the Contributory Provident Fund, the employers' contribution payable to that Fund shall as from the date of the Chairperson or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission during the tenure of appointment as such Chairperson or Member.

Explanation I.—A Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the President during his tenure as such Member and the option so exercised shall be final.

Explanation II.—If a Member exercising his option has received any benefits of Contributory Provident Fund on retirement from service under the Central or State Government, he shall not become eligible for pension under these rules unless he refunds in lump sum the Government contribution to that Provident Fund with interest thereon together with other retirement benefits, if any.

(2) The Chairperson or a Member who at the time of his appointment as such member,—

(i) was in the service of the Central or State Government or of a local body, or any other authority wholly or substantially owned or controlled by Government and who opts, or had opted, to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment, or

(ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by Government and who does not opt, or had not opted, to come under the pension scheme under these rules, or

(iii) was not in the service of the Central or State Government, a local body or any other authority wholly or substantially owned by Government and either does not become entitled to any pensionary benefits under these rules or opts not to come under the pension scheme under these rules, shall be entitled to be admitted to the benefit of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund (India) rules, 1962 as amended from time to time.

15. Residuary provision.—The conditions of service of the Chairperson and the Members for which no express provision has been made in these rules shall be as determined by the Central Government.

[No. F. 9-61|90-WW]
UMA PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992